

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर.


क्रमांक :- अ.मु.अ.(पीएण्डएम.)/राआमं/2012/303 दिनांक :- 4-10-2012

कार्यालय आदेश

मण्डल के 'सम्पत्ति निस्तारण विनियम-1970' के नियम 8 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संचालक मण्डल द्वारा 217वीं बैठक के बिन्दु संख्या 217.33 के तहत लिये गये निर्णयानुसार, विभिन्न संवर्गों के आवेदकों को आवास आवण्टन में आरक्षण का प्रावधान, एतद्विषयक पूर्व में जारी सभी आदेशों के अधिक्रमण में, निम्नानुसार किया जाता है :-

क्र.सं.	वर्ग	आवेदक की श्रेणी	विभिन्न श्रेणी (EWS. to HIG.) के लिए आरक्षण का प्रतिशत.
1.	जी-1	वैतनिक श्रेणी-प्रथम (केन्द्र सरकार के कर्मचारी तथा केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के बोर्ड/निगम के कर्मचारी/प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत कर्मचारी) वैतनिक श्रेणी-द्वितीय (राज्य सरकार के कर्मचारी, अधिकारी)	18 प्रतिशत 10 प्रतिशत
2.	जी-2	सामान्य श्रेणी प्रोफेशनल श्रेणी केवल प्रोफेशनल्स एडवोकेट, चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट एवं प्राइवेट डॉक्टर्स.	29 प्रतिशत 05 प्रतिशत
3.	जी-3	मण्डलकार्मिक (बोर्ड कर्मचारी)	01 प्रतिशत
4.	जी-4	अनुसूचित जाति	16 प्रतिशत
5.	जी-5	अनुसूचित जनजाति	12 प्रतिशत
6.	जी-6	वर्तमान एवं भूतपूर्व विधायक/सांसद /अधिस्वीकृत पत्रकार	1.5 प्रतिशत
7.	जी-7	स्वतन्त्रता सेनानी	0.5 प्रतिशत
8.	जी-8	भूतपूर्व सैनिक एवं सैनिकों की विधवाएं	03 प्रतिशत
9.	जी-9	विकलांग (अन्धता/शारीरिक/मूक बधिर)	01 प्रतिशत 01 प्रतिशत 01 प्रतिशत
10.	जी-10	वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिक एवं एशियाड/ओलम्पिक पदक प्राप्त खिलाड़ी.	01 प्रतिशत
		योग	100 प्रतिशत

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।


आवासन आयुक्त.

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव-माननीय अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, रा0आ0मं0, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता, रा0आ0मं0, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम/तृतीय, रा0आ0मं0, जयपुर एवं जोधपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (पीएण्डएम0), रा0आ0मं0, जयपुर।
5. सचिव/वित्तीय सलाहकार, रा0आ0मं0, जयपुर।
6. मुख्य सम्पदा प्रबन्धक/निदेशक विधि/अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, रा0आ0मं0, जयपुर।
7. जन सम्पर्क अधिकारी, रा0आ0मं0, जयपुर।
8. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर, रा0आ0मं0, जयपुर को मण्डल की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
9. उप आवासन आयुक्त, रा0आ0मं0, वृत्त _____(समस्त).
10. आवासीय अभियन्ता, रा0आ0मं0, खण्ड _____(समस्त).
11. सम्पदा प्रबन्धक/सहायक सम्पदा प्रबन्धक, रा0आ0मं0, वृत्त _____ (समस्त).
12. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (पीएण्डएम0).